

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा अजमेर
पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला(RAS)
राजस्व प्रार्थना पत्र 54/2018

- 1 श्री राजकुमार पुत्र श्री मिश्रीलाल डिया
- 2 श्री रामेश्वर पुत्र श्री मिश्रीलाल डिया
- 3 श्री राजेन्द्र पुत्र श्री मिश्रीलाल डिया
- 4 श्री सुरेन्द्र पुत्र श्री मिश्रीलाल डिया
- 5 श्री रामसिंह पुत्र श्री मिश्रीलाल डिया
- 6 श्री किशनसिंह पुत्र श्री मिश्रीलाल डिया
- समस्त जाति जाट निवासीगण मार्फत चिश्ती विलास श्रीनगर रोड अजमेर ।
- 7 श्री सुरजकरण पुत्र श्री हरदेव
- 8 श्री रामनाथ पुत्र श्री हरदेव निवासीगण देवास हाल मुकाम गुलाबपुरा ।

बनाम

श्रीमान् भूधारक जरिये तहसीलदार महोदय-विजयनगर, तहसील विजयनगर जिला अजमेर।

.....अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

आदेश

इस प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने सारांशतः निवेदन किया है कि ग्राम रामगढ पटवार क्षेत्र रामगढ तहसील विजयनगर की जमाबन्दी सम्वत् 2069-72 के खाता सं0 964 व खाता सं0 676 में प्रार्थी सं0 1 का नाम प्रारम्भ से ही लिपिकिय त्रुटिवश रामकरण व रामकरण गलत अंकित किया है जबकि प्रार्थी सं0 1 का नाम राजकुमार सही होकर वास्तविक है अतः रामकरण व रामकरण के स्थान पर राजकुमार दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है।

अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के आधार कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेज, पेन कार्ड मौके पर मजमे आम पूछताछ के आधार पर प्रार्थी का नाम राजकुमार पिता मिश्रीलाल अंकित है एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड ग्राम रामगढ के खाता सं0 964 किता 1 रकबा 25-18 व खाता सं0 676 किता 3 रकबा 85-06-10 में रामकरण पिता मिश्रीलाल के स्थान पर राजकुमार पिता मिश्रीलाल कौम जाट निवासी देवास सह खातेदार दर्ज करने की अभिशंषा की है।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया कि प्रार्थना पत्र प्राथी स्वीकार योग्य पाया जाता है। तथा मौजा व पटवार मण्डल रामगढ तहसील विजयनगर की जमाबन्दी सम्वत् 2069-72 के खाता सं0 676 में रामकरण व खाता सं0 964 में रामकरण के स्थान पर राजकुमार दुरुस्त किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे। यथानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किये जाने के आदेश तहसीलदार विजयनगर पर पारित किये जाते हैं।

आदेश आज दिनांक.....14.5.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुरेश चावला)ना

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

